

समाहरणालय खगड़िया
(आई.सी.डी.एस.शाखा)
विज्ञापन संख्या 01/2025

विभागीय पत्रांक 4359 दिनांक 26.07.24 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 10.06.10 एवं संशोधित पत्रांक 5994 दिनांक 31.12.18 के निदेशानुसार समाज कल्याण विभाग बिहार, पटना के स्वीकृति आदेश संख्या 01/2017/पत्रांक-2056/दिनांक 15.06.17 एवं पत्रांक 162/दिनांक 04.02.23 के आलोक में खगड़िया जिलान्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजनाओं में पूर्व से स्वीकृत एवं नवस्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पदों पर कुल 13 पदों पर आंगनबाड़ी सेविका पद से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन किया जाना है। मानेदय के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक खगड़िया जिला के आंगनबाड़ी सेविका दिनांक 27.02.25 से 18.03.25 तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (पिता के पते से) एवं आवासीय प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुये विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये लिंक <http://125.16.175.140:88/vacancyList.aspx> पर आवेदन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। खगड़िया जिला में कुल 13 पद रिक्त है, जिसमें सभी पद आंगनबाड़ी सेविका पद से भरे जायेंगे। बिहार सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 14346 दिनांक 10.09.24 के आलोक में आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 520, दिनांक 11.01.25 के स्वीकृति के उपरांत निर्गत आरक्षण के नियम का अक्षरशः पालन किया जायेगा। रिक्ति की विवरणी कोटिवार निम्न है:-

क्र० सं०	कोटि	पदों की संख्या
1.	अनारक्षित वर्ग	02
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01
3	अनुसूचित जाति	04
4	अनुसूचित जनजाति	01
5	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	02
6	पिछड़ा वर्ग	02
7	पिछड़े वर्ग की महिलाये	01
	कुल	13

1.नियोजन हेतु अर्हताएँ :-

(क.) अभ्यर्थी केवल महिलायें एवं खगड़िया जिला अन्तर्गत किसी परियोजना/प्रखंड की सेविका पद पर कार्यरत हों।

(ख.) अभ्यर्थी भारत की नागरिक हो।

(ग.) अभ्यर्थी जिलान्तर्गत आंगनबाड़ी पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त हो। इस हेतु अंतिम तिथि की गणना प्रथम जनवरी 2025 के आधार पर की जायेगी।



(घ.) विभागीय पत्रांक 162/दिनांक 04.02.23 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा 56 वर्ष होगी। चयन वर्ष जनवरी 2025 को आंगनबाड़ी सेविका के रूप में 10 वर्ष का कार्यकाल हो एवं उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2 अनिवार्य अर्हताएँ :-

(क.) न्यूनतम मैट्रिक का समकक्ष उत्तीर्ण योग्यता धारण करती हों।

(ख.) चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल हों।

3. वांछनीय अर्हताएँ :- निम्नलिखित विषय में स्नातक/स्नोकोतर (न्यूनतम 45 प्रतिशत) के साथ उत्तीर्ण अर्थार्थियों को वोनस अंक दिये जायेगे।

(क.) समाज शास्त्र (ख.) समाज कार्य (ग.) गृह विज्ञान (घ.) गृह विज्ञान (ड.) मनोविज्ञान (च.) बाल विकास एवं पोषण (छ.) आहार विज्ञान (ज.) श्रम एवं समाज शास्त्र।

4. उम्र सीमा- चयन के वर्ष की पहली जनवरी 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष (चयन के वर्ष पहली जनवरी 25 के गणना के अनुसार) एवं उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जायेगी।

5. शारीरिक स्वास्थ्यता :- आवेदिकाओं को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वास्थ्य होना अनिवार्य है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति/योगदान सहायक सिविल सर्जन के स्तर के पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के उपस्थापन के पश्चात की जाएगी।

6. आवेदिका को आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र (पिता के पते पर निर्गत) स्वअभिप्रमाणित प्रति देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।


7. मानदेय/पारश्रमिक का निर्धारण विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

8. अभ्यर्थी को इस आशय की अंडरटेकिंग/शपथ पत्र पस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति कर दावा नहीं करेगे।


9. अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी और अनुबंध अवधि की समाप्ति पर कार्य संतोषजनक प्रदत्त कार्य एवं पद की आवश्यकता के आलोक में आगे की अवधि विस्तार किया जायेगा। परियोजना समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा।

10. विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 10.06.10 एवं संशोधित पत्रांक 5994/दिनांक 31.12.18 एवं समय-समय पर सरकार/विभाग से निर्गत पत्र/परिपत्र के आलोक में निहित अन्य अनुदेशों का पालन नियोजन हेतु किया जायेगा।

11. विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 10.06.10 एवं संशोधित पत्रांक 5994 दिनांक 31.12.18 एवं समय-समय पर प्राप्त पत्र/परिपत्र के आलोक में पारिश्रमिक/मानदेय एवं यात्रा भत्ता देय होगा।


10/12/25
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
खगड़िया

उपविकास आयुक्त
खगड़िया


जिलाधिकारी,
खगड़िया



समाहरणालय खगड़िया
(आई.सी.डी.एस.शाखा)
विज्ञापन संख्या 01/2025
ईमेल dpo-icds-khg@gov.in

विभागीय पत्रक 4359 दिनांक 25.07.24 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 10.08.10 एवं सशोधित पत्रक 5994 दिनांक 31.12.18 के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग बिहार, पटना के स्वीकृति आदेश संख्या 01/2017/पत्रक-2056/दिनांक 15.06.17 एवं पत्रक 182/दिनांक 04.02.23 के आलोक में खगड़िया जिलान्तर्गत संघलित बाल विकास परियोजनाओं में पूर्व से स्वीकृत एवं नवस्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पदों पर कुल 13 पदों पर आयनवाड़ी सेविका पद से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन किया जाना है। मानदेय के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र अंशकृत किया जाता है। इच्छुक खगड़िया जिला के आयनवाड़ी सेविका दिनांक 27.02.25 से 18.03.25 तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (पिता के पते से) एवं आकांक्षीय प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये लिंक <http://125.16.175.140:88/vacancyList.aspx> पर आवेदन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। खगड़िया जिला में कुल 13 पद रिक्त है, जिसमें सभी पद आयनवाड़ी सेविका पद से भरे जायेंगे। बिहार सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के पत्रक 14346 दिनांक 10.09.24 के आलोक में आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रक 520 दिनांक 11.01.25 के स्वीकृति के उपरान्त निर्गत आकांक्षीय के विषय का अक्षर-पालन किया जायेगा। रिक्त की विवरणी कोटिदार निम्न है-

क्र.सं.	कोटि	पदों की संख्या
1.	अनापेक्षित वर्ग	02
2.	अधिक रूप से कमजोर वर्ग	01
3.	अनुपेक्षित जाति	04
4.	अनुपेक्षित जनजाति	01
5.	अपेक्षित पिछड़ा वर्ग	02
6.	पिछड़ा वर्ग	02
7.	पिछड़ा वर्ग की महिलाएँ	01
	कुल	13

- नियोजन हेतु अर्हताएँ :-**
 - अभ्यर्थी केवल महिलाएँ एवं खगड़िया जिला अंतर्गत किसी परियोजना/प्रखंड की सेविका पद पर कार्यरत हो।
 - अभ्यर्थी भारत की नागरिक हो।
 - अभ्यर्थी जिलान्तर्गत आयनवाड़ी पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त हो। इस हेतु अंतिम तिथि की गणना प्रथम जनवरी 2025 के आधार पर की जायेगी।
 - विभागीय पत्रक 182/दिनांक 04.02.23 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा 56 वर्ष होगी। छठम वर्ष जनवरी 2025 को आयनवाड़ी सेविका के रूप में 10 वर्ष का कार्यकाल हो एवं उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- अनिवार्य अर्हताएँ :-**
 - न्यूनतम मैट्रिक का समकक्ष उत्तीर्ण योग्यता धारण करती हों।
 - चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल हो।
- राष्ट्रीय अर्हताएँ :-** निम्नलिखित विषय में ल्याक/स्कोरकार (न्यूनतम 45 प्रतिशत) के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बीएस अंक दिये जायेंगे।
 - समाज शास्त्र (ख) समाज कार्य (ग) गृह विज्ञान (घ) गृह विज्ञान (ङ) मनोविज्ञान (च) बाल विकास एवं योजना (छ) आहार विज्ञान (ज) धर्म एवं समाज शास्त्र।
- उम्र सीमा-** चयन के वर्ष की पहली जनवरी 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष (चयन के वर्ष पहली जनवरी 25 के गणना के अनुसार) एवं उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- शारीरिक स्वास्थ्य-** आधिकारिक को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वास्थ्य होना अनिवार्य है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति/योगदान सहायक सिविल सर्जन के सार के पर्यवेक्षिका से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के उपस्थान में परीक्षा की जायेगी।
- आवेदिका को आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र (पिता के पते पर निर्गत) स्वअभिप्रमाणित प्रति देना अनिवार्य होगा।** इसके साथ ही सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
- मानदेय/पारश्रमिक का निर्धारण विभागीय विद्या-निदेश के आलोक में किया जायेगा।
- अभ्यर्थी को इस आशय की अंटरटेकिंग/शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति कर दावा नहीं करेंगे।
- अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी और अनुबंध अवधि की समाप्ति पर कार्य संतोषजनक प्रदत्त कार्य एवं पद की आवश्यकता के आलोक में आगे की अवधि विस्तार किया जायेगा। परियोजना समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 10.08.10 एवं सशोधित पत्रक 5994/दिनांक 31.12.18 एवं सम्य-समय पर सरकार/विभाग से निर्गत पत्र/परिपत्र के आलोक में निहित अन्य अनुदेशों का पालन नियोजन हेतु किया जायेगा।
- विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 10.08.10 एवं सशोधित पत्रक 5994 दिनांक 31.12.18 एवं सम्य-समय पर प्राप्त पत्र/परिपत्र के आलोक में पारिश्रमिक/मानदेय एवं वाता देय होगा।

उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

जिलाधिकारी,
खगड़िया

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।



समाहरणालय खगड़िया
(आई.सी.डी.एस. शाखा)
विज्ञापन संख्या 01/2025
ईमेल dpo-icds-khg@gov.in

विभागीय पत्रांक 4369 दिनांक 26.07.24 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 10.06.10 एवं संशोधित पत्रांक 5994 दिनांक 31.12.18 के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग बिहार, पटना की स्वीकृति आदेश संख्या 01/2017/पत्रांक-2058/दिनांक 15.06.17 एवं पत्रांक 162/दिनांक 04.02.23 के आलोक में खगड़िया जिलान्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजनाओं में एवं से स्वीकृत एवं सुवस्वीकृत पद के रिक्त स्थानों पर कुल 13 पदों पर आगमबाड़ी सेविका पद से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन किया जाना है। मानदेय के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन एवं अनिवार्य किया जाता है। इच्छुक खगड़िया जिला के आगमबाड़ी सेविका दिनांक 27.02.25 से 18.03.25 तक अपना आवेदन विहित प्रारूप में सभी वैधानिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (मिता के पते से) एवं आयसीय प्रमाण पत्र स्वअभिप्रेमणित प्रमाणित होलान्त करते हुए विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये लिंक <http://125.16.175.140:88/vacancyList.aspx> पर आवेदन उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। खगड़िया जिला में कुल 13 पद रिक्त है, जिसमें सभी पद आगमबाड़ी सेविका पद से भर जायेंगे। बिहार सरकार के द्वारा कॉम्प्लेक्स में निर्णित सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 14348 दिनांक 10.09.24 के आलोक में जानुवरी मूल प्रमद्वर, पुनर के पत्रांक 520, दिनांक 11.01.25 के स्वीकृति के उपरत निर्णित आक्षण के नियम का अहरकता माने किया जायेगा। रिक्ति की विवरणी कोटिदार निम्न है-

क्र. सं.	कोटि	पदों की संख्या
1	अनारक्षित वर्ग	02
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01
3	अनुसूचित जाति	04
4	अनुसूचित जनजाति	01
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	02
6	रिजर्व वर्ग	02
7	रिजर्व वर्ग की महिलाएं	01
	कुल	13

- नियोजन हेतु अर्हताएँ -**
 - अभ्यर्थी भारत मूलिक एवं खगड़िया जिला अन्तर्गत किसी परियोजना/प्रकल्प की अधिकतम पद पर कार्यरत हो।
 - अभ्यर्थी भारत की नागरिक हो।
 - अभ्यर्थी जिलान्तर्गत आगमबाड़ी पद पर अनुभव 10 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त हो। इस हेतु अंतिम तिथि की गणना प्रथम जनवरी 2025 के अंतिम पर की जायेगी।
 - विभागीय पत्रांक 162/दिनांक 04.02.23 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा 56 वर्ष होगी। चयन वर्ष जनवरी 2025 की आगमबाड़ी सेविका के रूप में 10 वर्ष का कार्यकाल हो एवं उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- अनिवार्य अर्हताएँ -**
 - न्यूनतम मैट्रिक का समकक्ष उत्तीर्ण होय्यता धारण करती हो।
 - चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल हो।
 - राष्ट्रीय अर्थशास्त्र-निम्नलिखित विषय में स्नातक/स्नोकोटर (मूलतः 45 प्रतिशत) के साथ उत्तीर्ण अर्थात्पि के योग्यता तक विषय जायेंगे।
 - समाज शास्त्र (ख) समाज कार्य (ग) गृह विज्ञान (घ) गृह विज्ञान (ङ) मनोविज्ञान (च) बाल विकास एवं पाठन (छ) आहार विज्ञान (ज) श्रम एवं समाज शास्त्र।
 - उम्र सीमा- चयन के वर्ष की पहली जनवरी 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष (चयन के वर्ष पहली जनवरी 26 के गणना के अनुसार) एवं उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - शारीरिक स्वास्थ्यता - आवेदिकाओं को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वास्थ्य होना अनिवार्य है। अंतिम रूप से पंजीत अभ्यर्थी की निपुणता/योगदान सहायक सिविल सर्जन के द्वाारा के परीक्षार्थी से निर्णित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के उपस्थापन के पश्चात् की जायेगा।
 - आवेदिका को आवेदन के साथ सभी वैधानिक प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र (मिता के पते पर निर्णित) स्वअभिप्रेमणित प्रति देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही संक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
 - मानदेय/पारभूमिक का विचारण विभागीय विज्ञापन-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।
 - अभ्यर्थी को इस आशय की अडरटेक्शन/शपथ पत्र परस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित निपुणता कर दावा नहीं करेंगे।
 - अनुभव की अवधि एक वर्ष के लिए होगी और अनुभव अवधि की समाप्ति पर कार्य संतोषजनक इतर कार्य एवं पद की आवश्यकता के आलोक में आगे की अवधि विस्तार किया जायेगा। परियोजना समाप्त होने पर अनुभव स्वतः समाप्त हो जायेगा।
 - विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 10.06.10 एवं संशोधित पत्रांक 5994/दिनांक 31.12.18 एवं समय-समय पर सरकार/विभाग से निर्णित पत्र/परिपत्र के आलोक में निहित अन्य अनुदेशों का पालन नियोजन हेतु किया जायेगा।
 - विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 10.06.10 एवं संशोधित पत्रांक 5994/दिनांक 31.12.18 एवं समय-समय पर प्राप्त पत्र/परिपत्र के आलोक में पारिभाषिक/मानदेय एवं बाधा भत्ता देय होगा।

उपरोक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

जिलाधिकारी,
खगड़िया

PR. No.19399 (SWD) 2024-25

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।